This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 31 जुलाई, 2025 / 09 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल,शिमला–171 002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
email:secysec-hp@nic.in

CORRIGENDUM

Dated the 30th July, 2025

No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-2602.—In continuation of Notification No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-2334, dated 14th July, 2025 *vide* which delimitation of wards in respect of Municipal Corporation, Hamirpur was published in the Official Gazette.

The extant of wards in respect of Municipal Corporation, Hamirpur may be substituted as under:—

Ward No.	Name of Ward	Extent / Boundaries / Limits
1.	NIT	**East.—**From Rangra Service Station and further extending along the boundary of Gram Panchayat Khian Lohakhrian. **North.—**From cremation house and further crossing the Kangri road and extending towards the house of Sh. Krishan Shankar, Sh. Manoj and Sh. Desh Raj, along the boundary of Ropri village. **West.—**From boundary of Paniyala Village towards NIT Chowk and following the boundary of New Ward No. 2 and New Ward No. 7, up to houses of Sh. Ajay Puri and Sh. RattanSingh. **South.—**From the house of Sh. Pritam and towards houses of Sh. Nek Ram and Sh. Sanju along the boundary of Sarahkar Gram Panchayat area, touching the Samudayik Kendra and water tank.
2.	Mati Tihra	**East.—**NIT Burji at boundary of Khas Gran and following the boundary of village Paniala touching the small bridge near Sh. Bablu's Karyana shop and further along the boundary of Muthan Chemyalan village. **North.—**Ghorinalah bridge near house of Sh. Babu Ram towards Sh. Anil Kumar's house, beside the Nallah and further extending towards Van Chetna Kendra and S.E. (IPH) Residence. **West.—**Rom DC Residence to MC Rest House. **South.—**From MC Rest House to SP Residence and further along the boundary of New Ward No. 1 till NIT Burji.
3.	Jhaniara	**East.—**Boundary with New Ward No. 2 (Village Gharan Masandan). **North.—**From Ghori bridge nallah along the boundary of New Ward No. 2 (Village Bahal) up to bridge at Village Garahat. **West.—**From Garahat bridge towards house of Sh. Kartar, Stamp maker (Shyam Nagar) along the boundary of Village Dugnehra, Village Bassi and Village Chhal Buhla abutting with boundary of (New Ward No. 4). **South.—**From house of Shri Kartar, Stamp Maker to P.M. Shri Kendriya Vidyalaya Hamirpur along the houses of Sh. Shakti Chand and Sh. Duni Chand, towards Pakka Bharo and further crossing NH and Pakka Bharo and District Election Office (EVMs/VVPATs) Warehouse**.**
		East.— From Dhunater Nallah bridge and then along the boundary of the villages Kohalri, Kheda, Lakui, Balh Dhadwalan, Ghartheri

		Bhalwalan, Ghartheri Brahmna up to Nalanda B.Ed College abutting the boundary of New Ward No. 3. **North.—**From Nalanda B.Ed College to Salasi bridge along the boundary of village Ghartheri Brahmna and further along boundary of Village Gopal Nagar, Matahni upto New Bus Stand abutting the New Ward No. 5. **West.—**From New Bus Stand to Children Park along the boundary of Up-Muhal Hira Nagar. **South.—**From Children Park to District Election Office (EVMs/VVPATs) Warehouse along the boundary of Up-Muhal Krishana Nagar and further towards Pakka Bharo upto house of Sh. Kartar, Stamp Maker upto Dhunatar Nallah abutting boundary of New Ward No. 3.
4.	Krishana-Nagar	
5.	Daruhi	**East.—**From RTO Office towards Jhaniari Bazar along Jal Shakti Rest House upto shop of Sh. Ram Krishan. **North.—**From Sh. Ram Krishan's shop to the house of Smt. Anjana, along the boundary of village Sasan upto house of Sh. Shahdeen. **West.—**From the house of Sh. Shahdeen up to Monkey Sterilization centre along the boundary of Jungle Ropa Gram Panchayat area. **South.—**From Monkey Sterlization Centre and Shani Dev Mandir along the boundary of New Ward No. 6 and New Ward No. 4 upto RTO Office.
6.	Dev Nagar	**East.—**From house of Sh. Pappi (Suman) and further extending along the boundary of house of Sh. Rajinder Kumar Rana and further along the road opposite of Thakur Nursing Home, touching boundary of New Ward No. 10. **North.—**From the crossing of the road and towards Sh. Milkhi Ram Petrol Pump, Hamir Hotel up to Bye-Pass Chowk abutting the boundaries of New Ward No. 10 and New Ward No. 4. **West.—**From Bye-Pass Chowk to the house of Sh. Bidhi Chand along the boundary of Gram Panchyat Jungle Ropa and further from the house of Sh. Bidhi Chand towards cowshed of Sh. Hardyal abutting the boundary of New Ward No. 11. **South.—**From cowshed of Sh. Hardyal up to the house of Sh. Pappi (Suman) along the boundaries of New Ward No. 11 and New Ward No. 12.
		East.—Hathali Khad **North.—**Boundry of New Ward No.1 and 2 along the boundary of Revenue Village Anu Kalan & Anu Khurd upto Jal Shakti Vibhag Pump House.

7.	Anu Kalan	**West.—**From Jal Shakti Vibhag Pump House to Bhedu Chowk along the boundry of New Ward No. 2 **South.—**Nallah from the house of Sh. Vinay upto Hathali Khad touching behind District Courts and DC Office.
8.	Bahal	**East.—**From Jamli Khad Bridge along the boundaries of villages Bhati, Gajoh and Ropa through Swahal Bridge and the house of Sh. Munshi. **North.—**Boundary with the Gram Panchayat area (villages Karara and Katiara). **West.—**Hori Khad and Bhanj Khad. **South.—**Boundary from Bhanj Khad to Jamli Nallah along the boundary of New Ward No. 15.
9.	Brij Nagar	**East.—**From Bhota Chowk to Hathli Khad bridge along the boundary of New Ward No.12. **North.—**From Hathli Khad Bridge to MC Rest House along the house of Sh. Vinay, Near MC Rest House Chowk abutting the boundary of New Ward No. 7. **West.—**From MC rest house towards BSNL office and upto Arya Chowk along the main road. **South.—**From Arya Chowk upto the shop of Sh. Jagdish abutting boundary of New Ward No. 10. From shop of Sh. Jagdish to Indian Bank and further to Bhota Chowk abutting the boundary of New Ward No. 12.
10.	Naya Nagar	**East.—**From Gandhi Chowk to Forest Rest House along Arya Chowk, Mridul Chowk abutting the boundary of New Ward No. 9. **North.—**From Forest Rest House to Hotel Hamir. From Hotel Hamir to Thakur Nursing Home along the road. From Thakur Nursing Home to Under Construction New Park Gaura, abutting the boundary of New Ward No. 6. **West.—**From Under Construction New Park Gaura to MC Shop along the house of Sh. Bebi, Parkash Lodge and house of Sh. Heera Lal Nanda abutting the boundary of New Ward No. 12. **South.—**From MC Shop towards the shop of Sh. Roshan Jeweller touching with MC Town hall, GSSS (Boys) and further towards Gandhi Chowk *via* the depot of Sh. Bidhi Chand, abutting the boundary of New Ward No. 9.
		East.—From Four lane bridge over Hathli Khad to opposite of Lalit Palace through the house of Sh. Kehar Singh, Kunah Khad and along the boundary of Jasour village.

11.	Bajuri	**North.—**From Lalit Palace and further along Bye Pass road abutting the boundaries of New Ward No. 13 & 12. **West.—**From Bye-Pass and along the boundaries of villages Dungneri, Dulehera, Chamarari, Bajuri, Bhater Khurd. **South.—**Boundary of Revenue villages Jhareri, Padal, Ghirtheri towards Four Lane bridge over Hathli Khad.
12.	Ram-Nagar	**East.—**Boundary of Baral village from Bye Pass Bridge over Hathli Khad through Police line ground abutting the boundary of New Ward No. 15. **North.—**From Police line Dosarka to Bhota Chowk crossing Hathli Khad bridge and further towards Parkash Lodge abutting the boundary of New Ward No. 10. **West.—**From Parkash Lodge to proposed New Park Gaura and further towards the house of Sh. Om Parkash and till the crossing at Bye-pass along the Nallah. **South.—**Nallah starting from Bye-Pass road to Hathli Khad abutting the boundary of New Ward No. 11.
13.	Baroha	**East.—**From Sai Hospital along the Boundary of Duhga Khurd and further along NH Hamirpur to Kohli bridge. **North.—**Boundary of Villages Panjahali, Bohni, Tropka and Baroha. **West & South.—**Boundary of Village Baroha abutting the boundary of New Ward No. 8.
14.	Halana	**East.—**Boundary of Villages Halana, Bhira, Gulela along the Gasoti Khad. **North.—**Boundary of Village Gulela, Dhalot, Bharwan, Samryal till the house of Sh. Roop Lal. **West.—**From the house of Sh. Surjeet towards the house of Sh. Roop Lal and Lalit Palace and from Lalit Palace to house of Smt. Brahmi Devi along the boundary of Village Sai Ugialla and Sai Brahmana. **South.—**From the house of Smt. Brahmi Devi to houses of Sh. Bhagirath and Sh. Shakti Chand and further along Kunah Khand upto sangam of Gasoti Khad and Kunah Khad.
15.	Subhash Nagar	**East.—**Boundary of Up-Muhal Lahalri and Duhga Khurd. **North.—**Boundary of Village Duhga Kalan, Duhga Khurd and Up-Muhal Lahalri and Ghanal Khurd abutting the boundaries of New Ward No. 13 and 8.

		West.—Boundary of Village Ghanal Khurd abutting the boundary of New Ward No. 8. **South.—**Boundaries of Up-Muhal Lahlari along the Hathli Khad up to bye-pass Bridge over Hathli Khad.

Sd/-
Secretary,
State Election Commission.

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the, 29th July, 2025

File No. TPT-A(4)-8/2015-loose.—In Supersession of this department notification of even number dated 26th March, 2024, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 215(2) of Motor Vehicles Act, 1988 is pleased to re-constitute "The State Transport Development and Road Safety Council" consisting of following official members with immediate effect in public interest:—

1.	Hon'ble Deputy Chief Minister, Himachal Pradesh	*Chairman*
2.	Additional Chief Secretary (Transport) to the Govt. of H.P.	*Member*
3.	Director General of Police, H.P.	*Member*
4.	Secretary (Industries) to the Govt. of H.P.	*Member*
5.	Secretary (Home) to the Govt. of H.P.	*Member*
6.	Secretary (Tourism) to the Govt. of H.P.	*Member*
7.	Secretary (Health) to the Govt. of H.P.	*Member*
8.	Secretary (PWD) to the Govt. of H.P.	*Member*
9.	Engineer-in-Chief (PWD), Himachal Pradesh, Shimla-01	*Member*
10.	Director of Transport, Himachal Pradesh, Shimla-04	*Member-Secretary*
11.	Managing Director, Himachal Road Transport Corporation	*Member*
12.	Director, Department of Environment, Science and Technology.	*Member*
13.	Director, Information and Public Relation, H.P. Shimla-02	*Member*
14.	Secretary, Himachal Pradesh Environment Protection and Pollution Control Board.	*Member*
15.	D.I.G. (Railway & Traffic), Himachal Pradesh.	*Member*
16.	Regional Officer, H.P. National Highway Authority of India (NHAI).	*Member*

The Council will consider all the issues pertaining to Road Transport and Road Safety within the State. The Council will be an Advisory Body and will meet periodically or atleast twice in a year and will submit its recommendations to State Government. The Government will take into consideration these recommendations while arriving at any decision on Road Transport and Road Safety within the State.

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM),
The Additional Chief Secretary (Transport).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
30 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	15–07–2025	08–08–2025

श्री इन्द्रजीत पुत्र धर्म चन्द, वासी मोहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण श्री इन्द्रजीत पुत्र धर्म चन्द, वासी मोहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थी श्री इन्द्रजीत पुत्र धर्म चन्द, वासी मोहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 20–04–1973 को ग्राम पंचायत चमियाणा में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
41 / NT/2025	नाम दुरुस्ती	08–07–2025	08–08–2025

श्री सुरेश कुमार पुत्र राम सिंह, वासी मोहाल भेडू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र.–नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र राम सिंह, वासी मोहाल भेडू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र राम सिंह, वासी मोहाल भेडू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके दादा का नाम मोहाल भेडू के राजस्व अभिलेख में चुहड़ा दर्ज है जबकि उनका सही नाम चूहड़ सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल भेडू के राजस्व अभिलेख में चुहड़ा उर्फ चूहड़ सिंह किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्व व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सपाहल, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
42 / NT/2025	नाम दुरुस्ती	11–07–2025	08–08–2025

श्री जगदीश राम पुत्र गरीबू राम, वासी मोहाल सपाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र.–नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री जगदीश राम पुत्र गरीबू राम, वासी मोहाल सपाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री जगदीश राम पुत्र गरीबू राम, वासी मोहाल सपाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल सपाहल खास के राजस्व अभिलेख में जगदीश चन्द पुत्र गरीबू दर्ज है जबकि उनका सही नाम जगदीश राम पुत्र गरीबू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल सपाहल खास के राजस्व अभिलेख में जगदीश राम पुत्र गरीबू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्व व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सपाहल, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
32 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	23–07–2025	08–08–2025

सुश्री कमला देवी पुत्री नानक चन्द, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री कमला देवी पुत्री नानक चन्द, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया सुश्री कमला देवी पुत्री नानक चन्द, वासी मोहाल भरठूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 14–08–1966 को ग्राम पंचायत चमियाणा में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
31 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	23–07–2025	08–08–2025

सुश्री सुनीता कुमारी पुत्री झाणु राम, वासी मोहाल घयाण, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री सुनीता कुमारी पुत्री झाणु राम, वासी मोहाल घयाण, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया सुश्री सुनीता कुमारी पुत्री झाणु राम, वासी मोहाल घयाण, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 15–04–1974 को ग्राम पंचायत बजरोल में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
46 / T/2025	नाम दुरुस्ती	21–06–2025	08–08–2025

श्रीमती कुन्ता देवी पत्नी मेहर चन्द, वासी मोहाल मंगलेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र.–नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती कुन्ता देवी पत्नी मेहर चन्द, वासी मोहाल मंगलेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थिया श्रीमती कुन्ता देवी पत्नी मेहर चन्द, वासी मोहाल मंगलेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल मंगलेहड के राजस्व अभिलेख में कुन्ता देवी पत्नी मेहर चन्द दर्ज है जबकि उनका सही नाम कुन्ता पत्नी मेहर चन्द है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल मंगलेहड के राजस्व अभिलेख में कुन्ता पत्नी मेहर चन्द किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्व व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री बलवंत सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

तारीख दायर : 10–07–2025 आगामी तारीख पेशी : 21–08–2025

श्रीमती रोशनी देवी पुत्री पिंजा राम, वासी टीका सनाही कला, मौजा बड़ोग, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादीगण।

सायल श्रीमती रोशनी देवी पुत्री पिंजा राम, वासी टीका सनाही कला, मौजा बड़ोग, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिया है एवं प्रार्थना की है कि उनका जन्म गांव स्नाही, मौजा बड़ोग, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर में दिनांक 12–04–1950 को हुआ था किन्तु किन्हीं कारणों से उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत स्नाही के रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी। इसलिए वह उक्त जन्म तिथि को अब दर्ज करवाना चाहती है इसके लिए उन्होंने affidavit, नॉन अविलबिलिटी फॉर्म नंबर 10, बर्थ रिपोर्ट परफॉर्मा फॉर्म नम्बर–1, साथ संलग्न किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सनाही, उप–तहसील कांगू के बर्थ रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 21–08–2025 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में हाजिर आकर अपना

पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(बलवंत सिंह राणा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं (नायब तहसीलदार),
कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री बलवंत सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

तारीख दायर : 10–07–2025 आगामी तारीख पेशी : 21–08–2025

श्रीमती सरोती देवी पुत्री अमीं चंद, वासी टीका ढ्गो, मौजा बड़ोग, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

सायला श्रीमती सरोती देवी पुत्री अमीं चंद, वासी टीका ढ्गो, मौजा बड़ोग, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिया है एवं प्रार्थना की है कि उनका जन्म गांव ढ्गो, मौजा बड़ोग, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर में दिनांक 08–12–1965 को हुआ था किन्तु किन्हीं कारणों से उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भडेरा के रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी थी इसलिए वह उक्त जन्म तिथि को अब दर्ज करवाना चाहती हैं इसके लिए उन्होंने affidavit, नॉन अविलबिलिटी फॉर्म नंबर 10, बर्थ रिपोर्ट परफॉर्मा फॉर्म नम्बर–1, साथ संलग्न किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भडेरा, उप–तहसील कांगू के बर्थ रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 21–08–2025 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(बलवंत सिंह राणा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं (नायब तहसीलदार),
कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री बलवंत सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

तारीख दायर : 26–06–2025 आगामी तारीख पेशी : 21–08–2025

श्री अखिल दत्त पुत्र सुरेश कुमार, वासी टीका मांजरा, डाकघर मांजरा, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम एक्ट, 1996.

सायल श्री अखिल दत्त पुत्र सुरेश कुमार, वासी टीका मांजरा, डाकघर मांजरा, उप–तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिया है एवं प्रार्थना की है कि उनकी शादी श्रीमती श्रीया पाठक पुत्री महेश पाठक विवासे दाहोद मार्ग बावरा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के साथ दिनांक 22–12–2022 को मुताबिक हिन्दु रीति–रिवाज से हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत जसाई, मौजा जसाई खास के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि बारे शपथ–पत्र, विवाह डीड, मंदिर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न की है। अब सायल अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त शादी को ग्राम पंचायत बेहरड, उप–तहसील कांगू के अभिलेख में दर्ज करवाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 21–08–2025 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(बलवंत सिंह राणा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं (नायब तहसीलदार),
कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू–व्यवस्था वृत्त बिझड, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 25 किस्म केस : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 25–08–2025

धनी राम पुत्र नानकु राम, निवासी महाल व मौजा पाहलू, उप–तहसील भोटा, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत महाल व मौजा पाहलू, उप–तहसील भोटा, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने के सन्दर्भ में।

प्रार्थी धनी राम पुत्र नानकु राम, निवासी महाल व मौजा पाहलू, उप–तहसील भोटा, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल पाहलू में धनिया दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल त्याग का प्रमाण–पत्र, नकल परिवार व बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम धनी राम है। पुष्टि हेतु प्रार्थी का ब्यान हल्फिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड स्कूल त्याग का प्रमाण–पत्र, नकल परिवार व बैंक पास बुक की छाया प्रति पेश की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह व्यक्त किया है कि उसका नाम उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेख महाल पाहलू में धनी राम दर्ज किया जावे।

अतः इश्तहार द्वारा हर खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25–09–2025 को यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो, प्रकाशन के एक माह के भीतर असालतन या वकालतन अपना एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर / एतराज नहीं सुना जाएगा और प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Vicky age 30 years s/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Bharthu, P.O. Kanerar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Shanti Devi aged 30 years d/o Sh. Jagat Ram, r/o Salran, P.O. Salgran, Tehsil & District Lahaul Spiti, H.P. .. *Applicant.*

Versus

The General Public .. *Respondent.*

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Vicky age 30 years s/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Bharthu, P.O. Kanerar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Shanti Devi aged 30 years d/o Sh. Jagat Ram, r/o Salran, P.O. Salgran, Tehsil & District Lahaul Spiti, H.P. have filed an application alongwith affidavits in

this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 10th November, 2024 at Salran, P.O. Salgran, Tehsil & District Lahaul Spiti, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-08-2025. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-07-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 23 / TEH/2025 तारीख दाखिल : 01–04–2025

श्रीमती सीमा देवी पुत्री रूणकु राम, निवासी गांव वडुखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

उपरोक्त मिसल नाम दुरुस्ती बारे अदालत हजा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार इन्दौरा में विचाराधीन है। उक्त मिसल में प्रार्थिया श्रीमती सीमा देवी पुत्री रूणकु राम, निवासी गांव वडुखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व महाल बडुखर में सैना देवी पुत्री रूणकु राम है जिसे प्रार्थिया सैना देवी की बजाये सैना देवी उपनाम सीमा देवी पुत्री रूणकु राम करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के बारे में यदि किसी को उजर / एतराज है तो वह 18–08–2025 को असालतन / वकालतन अदालत हजा में पेश होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /TEH/2025 तारीख दाखिल : 16–06–2025

श्री रछपाल सिंह पुत्र वीरा उर्फ रघुवीर सिंह, निवासी गांव धन्तोल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

उपरोक्त मिसल नाम दुरुस्ती बारे अदालत हजा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार इन्दौरा में विचाराधीन है। उक्त मिसल में प्रार्थी श्री रछपाल सिंह पुत्र वीरा उर्फ रघुवीर सिंह, निवासी गांव धन्तोल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के पिता का नाम राजस्व महाल धन्तोल में वीरा पुत्र चतरो दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम रघुवीर सिंह है जिसे प्रार्थी वीरा की बजाये वीरा उपनाम रघुवीर सिंह पुत्र चतरो करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के बारे में यदि किसी को उजर / एतराज है तो वह 18–08–2025 को असालतन / वकालतन अदालत हजा में पेश होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 15 / C / T / 2025 तारीख पेशी : 22–08–2025

श्री रणजीत सिंह पुत्र फनाहर, निवासी महाल अघार, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री रणजीत सिंह पुत्र फनाहर, निवासी महाल अघार, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल अघार, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसकी माता का नाम सोंधा देवी दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में उसकी माता का नाम यशोदा देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसकी माता का नाम यशोदा देवी उपनाम सौंधा देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 22–08–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की माता श्रीमती यशोदा देवी पत्नी फनाहर, निवासी महाल अघार, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के महाल अघार के राजस्व अभिलेख में यशोदा देवी उपनाम सौंधा देवी पत्नी फनाहर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 16 / C/T / 2025 तारीख पेशी : 26–08–2025

श्री उतम चन्द पुत्र किरपा राम, निवासी महाल जमूली, डाकघर डोला खरयाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री उतम चन्द पुत्र किरपा राम, निवासी महाल जमूली, डाकघर डोला खरयाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल जमूली, डाकघर डोला खरयाना, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम उतम सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में उसका नाम उतम चन्द दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम उतम चन्द उपनाम उतम सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 26–08–2025 को

असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री उतम चन्द पुत्र किरपा राम, निवासी महाल जमूली, डाकघर डोला खरयाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त धार के महाल जमूली के राजस्व अभिलेख में उतम चन्द उपनाम उतम सिंह पुत्र किरपा राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Deepika w/o Sh. Nitu, r/o Village & P.O. sharontha, Tehsil Tikkar, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application Under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Deepika w/o Sh. Nitu, r/o Village & P.O. sharontha, Tehsil Tikkar, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of death of his sister Nikita (11-01-2003) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Thana.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of death of (Nikita) 11-01-2003 they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 24th July, 2025.

Seal. Sd/-
(DHARMESH KUMAR, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sarita w/o Sh. Gorkh Mehtara, r/o Village Piunseri, Ward No. 04, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application Under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sarita w/o Sh. Gorkh Mehtara, r/o Village Piunseri, Ward No. 04, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of her son Gautam Mehtara (27-12-2011) and her daughter Khushi (23-04-2015) in the record of Birth Register of MC Rohru.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Gautam Mehtara) & (Khushi) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 24th July, 2025.

Seal.

Sd/-
(DHARMESH KUMAR, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Amar Sain s/o Sh. Ratu, r/o Village Chiuni, P.O. Lowerkoti, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh. . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application Under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Amar Sain s/o Sh. Ratu, r/o Village Chiuni, P.O. Lowerkoti, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of death of his mother Smt. Sirmani (30-07-1992) in the record of Death Register of Gram Panchayat Lowerkoti.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of death of (Sirmani) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 24th July, 2025.

Seal.

Sd/-
(DHARMESH KUMAR, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Abhishek s/o Sh. Rupesh, r/o Village Melan, P.O. Kotgarh, Sub-Tehsil Kotgarh, District Shimla (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above-mentioned applicant has submitted a application for correction of name of his daughter from "Abhishek" to "Abhishek Kaul" in the records of Aadhar Card and all other relevant documents in respect of the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of name of applicant from "Abhishek" s/o Sh. Rupesh to "ABHISHEK KAUL" they should appear before the below mentioned signatory in person or through their authorized agent/advocate on or before 19-08-2025.

In the event of their failure to do so, orde shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 19th day of July, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Megistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 14 / 13 B ऑफ 2025 तारीख मजरुआ : 04–06–2025

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जानकी राम, गांव मलानू की बेड, डाकघर शाडिया, उप–तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) हाल पता पंडाहा, डाकघर ओच्छघाट, तहसील व जिला सोलन, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जानकी राम, गांव मलानू की बेड, डाकघर शाडिया, उप–तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) हाल पता पंडाहा, डाकघर ओच्छघाट, तहसील व जिला सोलन, हि0प्र0 ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम अशोक कुमार की दुरुस्ती करने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम अशोक कुमार है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा मलानू की बेड, उप–तहसील नारग में बबलू दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा मलानू की बेड, उप–तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर श्री बबलू के स्थान पर अशोक कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम अशोक कुमार राजस्व अभिलेख मौजा मलानू की बेड में बबलू के स्थान पर अशोक कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26–08–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 09 / 13 B ऑफ 2025 तारीख मजरुआ : 22–04–2025

श्री शेर सिंह पुत्र श्री पलक राम, गांव शाडिया बजोग (मडकोल), डाकघर शाडिया, उप–तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री शेर सिंह पुत्र श्री पलक राम, गांव शाडिया बजोग (मडकोल), डाकघर शाडिया, उप–तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम अशोक कुमार की दुरुस्ती करने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम शेर सिंह है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग, उप–तहसील नारग में शमशेर सिंह दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग, उप–तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर श्री शमशेर सिंह के स्थान पर शेर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम शेर सिंह राजस्व अभिलेख मौजा शाडिया बजोग में शमशेर सिंह के स्थान पर शेर सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26–08–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
23/2025	18-07-2025	Fixed for 19-08-2025

Smt. Poonam Kumari w/o Sh. Manoj Kumar, r/o H.No. 2/11, Block No. 16, Sector-4, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through M. C. Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Poonam Kumari w/o Sh. Manoj Kumar, r/o H.No. 2/11, Block No. 16, Sector-4, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 and section 9(3) of Birth & Death Registration Rule, 2003 stating therein that the birth of her son namely Raunak s/o Sh. Manoj Kumar could not be registered in the Death & Birth records of M. C. Parwanoo within stipulated period. His date of birth is 29-09-2011 and place of Birth is H.No. 2/11, Block No. 16, Sector-4, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo. She prayed for passing necessary orders to the Secretary-*cum*-Registrar Birth & Death, Gram Panchayat Bhojnagar, Sub-Tehsil Parwanoo for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding entering the birth of Raunak s/o Sh. Manoj Kumar, r/o H.No. 2/11,

Block No. 16, Sector-4, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 19-08-2025 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of July, 2025.

Seal. Sd/-
Assistant Collector Grade-II,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H. P.).

In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
12/2025	01-02-2025	Fixed for 14-08-2025

Smt. Tara Devi d/o Sh. Om Prakash, r/o Village Karol, P.O. Nayagram, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through Gram Panchayat Chammo, Sub-Tehsil Parwanoo.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Tara Devi d/o Sh. Om Prakash, r/o Village Karol, P.O. Nayagram, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her birth could not be registered in the Death & Birth records of Gram Panchayat Chammo within stipulated period. Her date of birth is 08-05-1963. She prayed for passing necessary orders to the Secretary-*cum*-Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Chammo, Sub-Tehsil Parwanoo for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding entering the birth of Smt. Tara Devi d/o Sh. Om Prakash, r/o Village Karol, P.O. Nayagram, Sub-Tehsil Parwanoo, may file their objections in this court on or before 14-08-2025 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of July, 2025.

Seal. Sd/-
Assistant Collector Grade-II,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Manmohan Singh, Executive Magistrate-cum-**Naib-Tehsildar Solan, District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Bimla Thapa Magar w/o Shri Rajesh Kumar Thapa Magar, r/o Village Jaisi Danda, Namule Gaon Palika, P.O. Dailek, Distt. Dailek, Bheri Anchal Nepal . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.

PROCLAMATION

Whereas, the applicant Smt. Bimla Thapa Magar w/o Shri Rajesh Kumar Thapa Magar, r/o Village Jaisi Danda, Namule Gaon Palika, P.O. Dailek, Distt. Dailek, Bheri Anchal Nepal has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her child's date of birth *i.e.* 02-10-2011 and place of birth at r/o Hari Bhawan, Near ITI, Ward No. 2, Solan, P.O., Tehsil & District Solan (H.P.) but date of birth of her child could not be entered in the record of M.C. Solan, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Ms. Sonam Thapa Magar d/o Shri Rajesh Kumar Thapa Maga and Smt. Bimla Thapa Magar may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of July, 2025.

Seal. Sd/-
(MANMOHAN SINGH),
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : 07/ 2025 Date of Instt. : 23-07-2025 Pending for : 25-08-2025

Sh. Nikhil Verma and Smt. Sanjivni

V/s

General Public

Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Nikhil Verma s/o Devinder Verma aged 33 years, r/o Village Majhol, P.O. Kayari, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) and Smt. Sanjivni d/o Sh. Hari Mohan aged 29 years, r/o Village Kathni, P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) a/p w/o aforesaid Shri Nikhil Verma have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage which was solemnized on 23-11-2024.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits duly attested by Notary Kandaghat that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage as it is their first marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, he/she may present before this court on or before 25-08-2025 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 25-08-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 23-07-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum- *SDM,*
Kandaghat, District Solan (H. P.).

CHANGE OF NAME

I, Rama Kaundinya d/o Late Sh. Upendr Nath Gautam w/o Sh. Radha Krishan Kaundinya, r/o House No. 24-25, Near Raj Mahal, Ward No. 9, Nalagarh (H.P.) declare that before marriage my name was Rama Kumari. After marriage I was known as Kaundinya Rama Kumari R. Now I have changed my name from Rama Kumari & Kaundinya Rama Kumari R to Rama Kaundinya for all purposes.

RAMA KAUNDINYA
d/o Late Sh. Upendr Nath Gautam
w/o Sh. Radha Krishan Kaundinya,
r/o House No. 24-25, Near Raj Mahal,
Ward No. 9, Nalagarh (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Gaurav Hernote s/o Pawan Hernote, r/o Hiranali (184), P.O. Juni, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.)-171 301 hereby declare that my and my father's surname is wrongly recorded in my Aadhar Card No. 2613 3090 3232 as Gaurav Harnote (my old name) and Pawan Harnote (my father's old name). Whereas, my correct name is Gaurav Hernote (new name) and my father's correct name is Pawan Hernote (new name). All concerned please note.

GAURAV HERNOTE
s/o Pawan Hernote,
r/o Hiranali (184), P.O. Juni,
Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.)-171 301.

CORRECTION OF NAME

I, Sudhir s/o Balak Ram, r/o Village Koti, Bakhol (177), Shimla (H.P.)-171 202 declare that my daughter's name has been wrongly recorded in the Aadhar Card No. 7619 9209 3749 as Rudraakshika Chauhan in place of Aarvika. Whereas my daughter's correct name is Aarvika. All concerned please may note.

SUDHIR
s/o Balak Ram,
r/o Village Koti, Bakhol (177),
Shimla (H.P.)-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Rekha Sharma w/o Mr. Nitin Gautam, r/o Ajay Niwas, Kufri Dhar Ghanahatti, Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 011 aged 39 years, do hereby declare that my name is Rekha Sharma, which is recorded in my Aadhar card, Pan Card and Bank Accounts. After marriage, in some documents (such as my daughter's birth certificates my husband's passport and certain government records) my name has been mentioned as Rekha Gautam. Rekha Sharma and Rekha Gautam refer to the same person. Therefore, I request that my name be recorded as Rekha Sharma in all records.

REKHA SHARMA
w/o Mr. Nitin Gautam,
r/o Ajay Niwas, Kufri Dhar Ghanahatti,
Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 011.

CHANGE OF NAME

I, Aaradhya Khanna s/o Sh. Ajay Khanna, r/o Flat No. 5, Block P, Sugandha Apartment, Lawi Khurd, Solan (H.P.) declare that my name was wrongly entered as Kairav Khanna in 2007 at the time of securing an LIC Policy No. 163318867. It has since been changed to Aaradhya Khanna, in all official records. All concerned please note.

AARADHYA KHANNA
s/o Sh. Ajay Khanna,
r/o Flat No. 5,
Block P, Sugandha Apartment, Lawi Khurd, Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nup Ram s/o Sh. Narotu Ram, r/o Village Chachogi, P.O. Naggar, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) do hereby solemnly declare on oath that in my all relevant documents or records my name is recorded as Anup Ram, whereas now I have changed my name from Anup Ram to Nup Ram. Today onwards my name be considered as Nup Ram for all purposes. Please concerned note that.

NUP RAM
s/o Sh. Narotu Ram,
r/o Village Chachogi, P.O. Naggar,
Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Munish Kumar s/o Sh. Ravi Kumar, V.P.O. Chowki Bhuana (731), Ward No. 4, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.)-176 076 declare that I have changed my name from Manish Kumar to Munish Kumar. Manish Kumar and Munish Kumar is the same man. All please note this.

MUNISH KUMAR
s/o Sh. Ravi Kumar,
V.P.O. Chowki Bhuana (731), Ward No. 4,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.)-176 076.

नाम परिवर्तन

मैं, मोहिन्द्र दत्त अत्री (83) पुत्र गौरी शंकर अत्री, निवासी गढ़खल, तहसील कसौली, जिला सोलन ब्यान करता हूं कि आधार कार्ड नम्बर 5237 2821 3762 के अलावा तमाम रिकार्ड में मेरा नाम सही दर्ज है। अतः आधार कार्ड में भी इसे मोहिन्द्र दत्त अत्री पुत्र गौरी शंकर अत्री दर्ज किया जाए।

मोहिन्द्र दत्त अत्री
पुत्र गौरी शंकर अत्री,
निवासी गढ़खल,
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Tulsi Devi w/o Moti Ram, Village & P.O. Nandi, Tehsil Chachiot, Distt. Mandi (H.P.) declare as on oath that in my Aadhar Card No. 3347 8441 3392, I want to change my name from Tulasi Devi to Tulsi Devi. Be noted.

TULSI DEVI
w/o Moti Ram,
Village & P.O. Nandi,
Tehsil Chachiot, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suresh Chand s/o Sh. Parkash Chand, r/o Roopa Mal Jiwan Lal, Shali Bazar, Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name in documents appear as Suresh Sood *alias* Suresh Kumar *alias* Suresh Kumar Sood. All these names refer to one and same person. But now I have changed my name to Suresh Chand. All concerned note.

SURESH CHAND
s/o Sh. Parkash Chand,
r/o Roopa Mal Jiwan Lal, Shali Bazar,
Theog, Distt. Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 69 / तह / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 16–08–2025

नीमा कुमारी पुत्री श्री फतेह सिंह, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.–– इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नीमा कुमारी पुत्री श्री फतेह सिंह गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10–03–1979 को गांव व डाकघर हारसी, ग्राम पंचायत हारसी, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है, इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके घर वालों ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत हारसी के अभिलेख में दर्ज

न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हारसी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नीमा कुमारी पुत्री श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी श्री फतेह सिंह, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10–03–1979 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16–08–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म / पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप–स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत हारसी को जारी कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16–07–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 58 / तह0 / 2025 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 23–08–2025

सुभाष चन्द पुत्र स्व0 धनी राम, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

सुभाष चन्द पुत्र स्व0 धनी राम, गांव कलूही, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी ब्यान पेश कर प्रार्थना व आवेदन किया कि मेरी माता श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम कलूही, डाकघर तलवाड़, ग्राम पंचायत सोलवनेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 08–08–1978 में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सोलवनेहड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सोलवनेहड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम कलूही, डाकघर तलवाड़, ग्राम पंचायत सोलवनेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि 08–08–1978 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या

वकालतन तारीख पेशी 23–08–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव सोल वनेहड़ को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07–07–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 61 / तह0 / 2025 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 06–08–2025

प्रीतम सिंह पुत्र श्री गोरख राम, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

प्रीतम सिंह पुत्र श्री गोरख राम, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी ब्यान पेश कर प्रार्थना व आवेदन किया कि मेरी माता श्रीमती सैना देवी पत्नी श्री गोरख राम की मृत्यु दिनांक 10–11–1990 को गांव टिकरू, डाकघर संघोल, ग्राम पंचायत संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घर वालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत संघोल के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत संघोल को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती सैना देवी पत्नी श्री गोरख राम, गांव टिकरू, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि 10–11–1990 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06–08–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव संघोल को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16–07–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रंजना कुमारी पुत्री लाल चन्द हाल पत्नी रजिन्द्र सिंह, निवासी गांव मनोह, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया रंजना कुमारी पुत्री लाल चन्द हाल पत्नी रजिन्द्र सिंह, निवासी गांव मनोह, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उनका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में रंजना कुमारी है जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत महाल खटियाड़ के रिकार्ड में रंजना देवी है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थिया उपरोक्त अभिलेख के अनुसार रंजना देवी पुत्री लाल चन्द की जगह रंजना देवी उर्फ रंजना कुमारी दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28–07–2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती शाहनी देवी पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव मनोह व डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मनोह सिहाल में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती शाहनी देवी पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव मनोह व डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत मनोह सिहाल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 02–03–1953 को हुआ था, परन्तु ग्राम पंचायत मनोह सिहाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई, इसलिए अब ग्राम पंचायत मनोह सिहाल को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24–08–2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का जन्म पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 08/NT/M/2025 तारीख दायरा : 09–07–2025 तारीख पेशी : 18–08–2025

गायत्री देवी पुत्री पिंजू राम, वासी बेहड़, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

गायत्री देवी पुत्री पिंजू राम, वासी महाल बेहड़, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय / न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थिया के पिता की मृत्यु दिनांक 17–03–1974 को महाल बेहड़, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा पाई हैं।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18–08–2025 समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पिन्जू राम पुत्र साधू राम, वासी बेहड़ की मृत्यु तिथि 17–03–1974 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कोटला बेहड़ को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 19–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय / न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 99 / N/2025 तारीख पेशी : 14–08–2025

अजीत सिंह पुत्र धर्म चन्द, निवासी महाल जगरूपनगर, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता महाल जगरूपनगर, देहरू, उप–तहसील आलमपुर प्रतिवादी।

विषय.––भू–राजस्व अभिलेख स्थित महाल जगरूपनगर व देहरू, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू एक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अजीत सिंह पुत्र धर्म चन्द, निवासी महाल जगरूपनगर, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम अजीत सिंह है, परन्तु महाल जगरूपनगर व देहरू के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जीत कुमार गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी महाल हजा में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल जगरूपनगर व देहरू के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जीत कुमार के बजाये अजीत सिंह उपनाम जीत कुमार करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14–08–2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 18–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 102 / N/2025 तारीख पेशी : 14–08–2025

सरोज रानी पुत्री प्रमोध सिंह हाल पत्नी गुरदयाल सिंह, निवासी महाल मरेरा, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता महाल मरेरा, उप–तहसील आलमपुर ... प्रतिवादी।

विषय.––भू–राजस्व अभिलेख स्थित महाल मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू एक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सरोज रानी पुत्री प्रमोध सिंह हाल पत्नी गुरदयाल सिंह, निवासी महाल मरेरा, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सरोज रानी है, परन्तु महाल मरेरा के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम कलां देवी गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया महाल हजा में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल मरेरा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम कलां देवी के बजाये सरोज रानी उपनाम कलां देवी करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14–08–2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 18–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

In the Court of Assistant Collector-cum**-Naib Tehsildar, Bharoli,
Distt. Kangra (H.P.) 176 036**

Lal Chand s/o Kour Chand s/o Deviya, r/o Village Touru, Mouza Bharoli-II, Sub-Tehsil Bharoli District Kangra, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public. . .*Respondent.*

Application for the correction of Name Under Section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

NOTICE

Lal Chand s/o Kour Chand s/o Deviya, r/o Village Touru, Mouza Bharoli-II, Sub-Tehsil Bharoli District Kangra, H.P. has submitted an application under section 37(2) of The Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Adhar Card and Jamabandi Parcha in the court of undersigned.

Wherein he stated that he belongs to above mentioned address. His name is written as Chandu Ram in the land/revenue record of Mohal Touru, Mouza Bharoli-II which is wrong. His original/correct name is "Lal Chand". Therefore, he request to correct his name as "Lal Chand" instead of Chandu Ram in the revenue record of Mohal Touru, Mouza Bharoli-II, Sub-Tehsil Bharoli, as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court before 25-08-2025. No objection will be entertained after prescribed period and appliation will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 11-07-2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector-cum-*Naib Tehsildar,*
Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Naib-Tehsildar-cum-**Executive Magistrate, Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.)**

File No. /NTEH/2025 Date of Institution : 19-07-2025 Case Titled : Registration of Death

Shri Jarnail Singh s/o Sant Ram, r/o Village Chhattar Jhikla, Sub-Teshil Raja Ka Talab, District Kangra, H.P.

Versus

The General Public

Notice of the General Public

Whereas, Shri Jarnail Singh s/o Sant Ram, r/o Village Chhattar Jhikla, Sub-Teshil Raja Ka Talab, District Kangra, H.P. has filled an application before the undersigned that date of death of his father is 01-10-1992 but due to ignorances and lack of knowledge it has not been entered in the concerned Gram Panchayat register. He has further stated that he wants to get if registered in Gram Panchayat Chhattar, Sub-Tehsil Raja Ka Talab.

The applicant has attached non-availability certificate, recommendation of additional Distt. Registrar (Birth & Death)-*cum*-Medical Officer of Health Kangra at Dharamshala. Affidavit of two witnesses namely sh. Angrej s/o Sh. Babu Ram, r/o VPO Talara, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, District

Kangra, H.P. & Sh. Surjit Singh s/o Sh. Amar Singh, r/o VPO Badi, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra have been attached in support of his claim.

Now, therefore, in pursuance of section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 a proclamation to all General Public concerned is hereby issued that objections in this regard *i.e.* to enter the date of Death of Sh. Sant Ram s/o Sh. Larja Singh shall be heard by the undesigned on 22-08-2025 in his court at Raja Ka Talab. Anyone having any objections in the matter may do so on the said date and place in person or through legal practitioner or his/her recognised agent. In case non-appearence, the proceedings will continue *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 19-07-2025.

Seal. Sd/-

Naib-Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।